<u>मिशन शक्ति कार्ययोजना</u>

<u>1.प्रथम 1 से 10 दिवस</u>
<u>(22.09.2025 - 01.10.2025)</u>

मुख्य उद्देश्य: नवरात्रि के अवसर पर महिला सुरक्षा, जागरूकता, सम्मान और सशक्तिकरण ।

पुलिस विभाग: मन्दिरो, पूजा पंडालों, मेलों, रामलीला स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस बल की विशेष तैनाती ।

-एण्टी रोमियो स्क्वॉड द्वारा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में मनचलों पर तत्काल कार्यवाही ।

-फुट पैट्रोल और पीआरवी पैट्रोलिंग ।

-चार पहिया वाहनों पर काली फिल्म/नंबर प्लेट उल्लंघन पर चेतावनी और फोटो रिकॉर्डिंग ।

-स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर भव्य जनसम्मान कार्यक्रम का आयोजन।

-मन्दिर/पब्लिक स्थल में महिला चौपाल का आयोजन ।

-कल्याणकारी योजनाओं एवं हेल्पलाइन (1090, 181, 112, 1930, 1076) से संबंधित पेम्फलेट वितरण ।

महिलाओं के उत्कृष्ट और प्रेरणादायी कार्यों के लिए पुरस्कार वितरण ।

ग्रामीण/शहरी प्रशासन विभाग

-मिशन शक्ति केंद्रों में महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम ।

-परिवार परामर्श केंद्रों और शिशु गृह (Creche) की स्थापना ।

2. 11 से 20 दिवस (02.10.2025 - 11.10.2025)

मुख्य उद्देश्य: ग्राम/वार्ड स्तर पर महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की जागरूकता ।

पुलिस विभाग: प्रत्येक ग्राम पंचायत/वार्ड में बीट पुलिस अधिकारी द्वारा भ्रमण और महिलाओं से संवाद ।

-घरेलू हिंसा और महिला अपराधों में जेल से रिहा अभियुक्तों की सत्यापन व निगरानी ।

-संवेदनशील/हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन ।

स्वास्थ्य विभाग

-मिशन शक्ति केंद्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं ट्रॉमा इन्फार्म्ड केयर के बारे में प्रशिक्षण और जागरूकता ।

शिक्षा विभाग

-स्कूल/कालेज में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था ।

-महिला छात्रावास और शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा हेतु जागरूकता कार्यक्रम ।

-प्रत्येक शिक्षण संस्थान से प्रधानाचार्य/दो शिक्षक और दो अभिभावकों को आमंत्रित कर सुरक्षा हेतु विचार विमर्श ।

-महिला छात्राओं को सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी ।

जनप्रतिनिधि/स्थानीय प्रशासन

-महिला सुरक्षा पर जनपदीय सम्मेलन ।

-प्रेरणादायी महिलाओं /अधिकारियों के साथ सुरक्षा सुधार पर विचार-विमर्श ।

3. 21 से 30 दिवस (12.10.2025 - 21.10.2025)

मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में महिला सुरक्षा जागरूकता और संवेदनशीलता ।

पुलिस विभाग

-महिला अपराध नोडल अधिकारी/राजपत्रित महिला अधिकारी के नेतृत्व में स्कूल/कालेज में जागरूकता कार्यक्रम ।

-महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की लघु फिल्म का प्रदर्शन ।

-स्कूल/कालेज परिसर में पैम्फलेट/फोल्डर वितरण ।

-एण्टी रोमियो स्क्वॉड द्वारा भीड़-भाड़ वाले स्थानों में कार्यवाही ।

महिला एवं बाल विकास विभाग

-शिशु गृह और परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना ।

-नारी संरक्षण गृह और आश्रय गृहों में महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता ।

-विधिक /वित्तीय सहायता ।

-महिला कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी देना।

-हेल्पलाइन, जनसुनवाई पोर्टल और विधिक सहायता उपलब्ध कराना।

-नारी संरक्षण गृह और आश्रय गृहों में महिलाओं/बालिकाओं से संवाद।

रेलवे पुलिस (GRP)

रेलवे स्टेशनों/ट्रेनों में महिला यात्रियों को मिशन शक्ति अभियान से संबंधित पैम्फलेट वितरण।

स्थानीय प्रशासन

-महिला अपराधों से संबंधित संवेदनशील/हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चिन्हीकरण एवं सुरक्षा उपाय।

-सीसीटीवी कैमरों की जांच और निष्क्रिय कैमरों को सक्रिय करना।

-वाहन नियम उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही।

सभी विभाग

-IGOT पोर्टल के माध्यम से लैंगिक संवेदनशीलता और महिला अपराध संबंधित प्रशिक्षण।

-वीमेन पावर लाइन-1090 का व्यापक प्रचार-प्रसार।

-पिंक बूथ की स्थापना और 24x7 महिला सहायता सुनिश्चित करना।